



उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)

शक्ति भवन, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ

CIN: U32201UP1999SGC024928

संख्या 854 - का०वि०नी० एवं वे०प्र० - 29 / पाकालि / 2016 - 9 - पी / 86 दिनांक 07 अक्टूबर, 2016

कार्यालय ज्ञाप

विषय :- दिनांक 01.01.2006 की पुनरीक्षित वेतन संरचना में दिनांक 01.08.2016 से मकान किराया भत्ता की दरों में संशोधन।

वित्त (सामान्य) अनुभाग, उ०प्र० शासन के शासनादेश सं० 1/2016/जी-1-119/दस-2016-226/2008 दिनांक 12.08.2016 को अंगीकृत करते हुए एतद्वारा उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० एवं उसकी वितरण कम्पनियों के कार्मिकों को कार्यालय ज्ञाप सं० 177-काविनी एवं वे०प्र०-29/पाकालि/09-17-काविनी एवं वे०प्र०/08 दिनांक 19.02.2009 सपटित कार्यालय ज्ञाप सं० 996-काविनी एवं वे०प्र०-29/पाकालि/12-17-काविनी एवं वे०प्र०/08 दिनांक 21.12.2012 द्वारा अनुमन्य मकान किराया भत्ता की दरों को दिनांक 01.08.2016 से नीचे स्तम्भ क्रमशः - 4, 6 एवं 8 में यथा उल्लिखित संशोधित दरों के अनुसार अनुमन्य कराये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

क्रम सं०	ग्रेड वेतन / वेतनमान	श्रेणी-ए,बी-1 तथा बी-2 के नगरों में		श्रेणी-सी के नगरों में		अवर्गीकृत श्रेणी के क्षेत्र	
		वर्तमान दर 01.12.08 से लागू	संशोधित दर 01.08.16 से	वर्तमान दर 01.12.08 से लागू	संशोधित दर 01.08.16 से	वर्तमान दर 01.08.12 से लागू	संशोधित दर 01.12.08 से
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	1900	1160	1400	580	700	385	470
2	2000	1200	1440	600	720	400	480
3	2200	1220	1470	610	740	405	490
4	2600	1500	1800	750	900	500	600
5	3000	1700	2040	850	1020	565	680
6	4200	2020	2430	1010	1220	670	810
7	4800	2810	3380	1405	1690	935	1130
8	5400	3150	3780	1575	1890	1050	1260
9	6600	3780	4540	1890	2270	1260	1520
10	8700	6910	8300	3455	4150	2300	2760
11	8900	7280	8740	3640	4370	2430	2920
12	10000	8200	9840	4100	4920	2730	3280
13	वेतनमान 63000-78000	8700	10440	4350	5220	2865	3440

2. मकान किराया भत्ता की उपरोक्त संशोधित दरों के सन्दर्भ में भारत सरकार द्वारा सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों पर निर्णय लिये जाने के उपरान्त राज्य में गठित वेतन समिति द्वारा मकान

(क्रमशः.....2)

(2)

(2)

किराया भत्ता के सम्बन्ध में नीतिगत निर्णय लिये जाने हेतु प्रदान की जाने वाली संस्तुतियों के सापेक्ष, तदनुरूप, कारपोरेशन में भी इस वृद्धि को संज्ञान में लिया जायेगा।

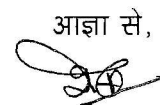
3. मकान किराया भत्ता अनुमन्यता के सन्दर्भ में पूर्व से लागू शर्तें एवं अन्य प्रतिबन्ध यथावत् प्रभावी रहेंगे।

निदेशक मण्डल की आज्ञा से।

सं0 854 (1)-काविनी एवं वे0प्र0-29/पाकालि/16 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
- 2- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
- 3- अध्यक्ष, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0/उ0प्र0 जल विद्युत निगम लि0।
- 4- अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0, लखनऊ के प्रमुख निजी सचिव।
- 5- प्रबन्ध निदेशक, केस्को, कानपुर/पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि0, वाराणसी/पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0, मेरठ/मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि0, लखनऊ/दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0, आगरा।
- 6- समस्त निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 7- मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
- 8- अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग, एसएलडीसी परिसर, निकट मंत्री आवास, विभूति खंड, गोमती नगर, लखनऊ।
- 9- समस्त मुख्य अभियन्ता (स्तर-1 एवं स्तर-2), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0/उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन पावर कारपोरेशन लि0।
- 10- समस्त मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक/उप महाप्रबन्धक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0/उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन पावर कारपोरेशन लि0।
- 11- महा प्रबन्धक (लेखा प्रशासन), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 12- समस्त अधीक्षण अभियंता, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0/उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन पावर कारपोरेशन लि0।
- 13- समस्त अधिशासी अभियंता, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0/उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन पावर कारपोरेशन लि0।
- 14- समस्त उपमुख्य लेखाधिकारी/क्षेत्रीय लेखाधिकारी, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0/उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन पावर कारपोरेशन लि0।
- 15- अनु सचिव (सचि0प्रशा0-लेखा), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 16- लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
- 17- सचिव, उ0प्र0 राज्य ऊर्जा कार्मिक न्यास, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 18- समस्त अधिकारी, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 मुख्यालय, शक्ति भवन/शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
- 19- कम्पनी सचिव, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ को निदेशक मण्डल की दिनांक 19.09.2016 को सम्पन्न 126(47)वीं बैठक में लिये गये निर्णय के अनुपालन में।
- 20- अधिशासी अभियन्ता (वेब), कक्ष सं0 407, शक्ति भवन, लखनऊ को उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 की वेबसाइट, www.uppcl.org पर अपलोड करने हेतु।



(शेष कुमार श्रीवास्तव)
संयुक्त सचिव (काविनी)